मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

हर वोट कीमती -हर निकाय महत्वपूर्ण

कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा प्लान

प्रशिक्षण दिनांक–17/12/2021

कानून एवं व्यवस्था

महत्वपूर्ण अधिनियम जिनकी जानकारी आवश्यक है

अधिनियम	कुल धाराएं
मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 यथा संशोधित 2014	15
मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985	19
मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम, 1994	06
धार्मिक संस्थान (दुरूपयोग पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1988	10
आर्म्स एक्ट	17
मोटर विहिकल एक्ट	23
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989	01
भारतीय दण्ड संहिता	13
दण्ड प्रक्रिया संहिता	31
पुलिस एक्ट/पुलिस रेग्यूलेशनस एवं आबकारी अधिनियम	

पुलिस अधिनियम 1861 एवं पुलिस विनियम

1. पुलिस अधिनियम की धारा 4 के अनुसार ''जिले के मजिस्ट्रेट'' के स्थानीय अधिकारिता में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन ऐसे मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण और निर्देशन के अधीन एक–एक जिला अधीक्षक और ऐसे सहायक जिला अधीक्षकों में जिन्हे राज्य सरकार उचित समझे, निहित होगा।
2. उक्त अधिनियम में 46 धारायें है।
3. मध्यप्रदेश पुलिस विनियम में कुल 973 विनियम है तथा 4 खण्ड है।
4. पुलिस विनियम का खण्ड 2 (विनियम लगायत 21 से 31) आयुक्त, जिला एवं उप खण्डीय मजिस्ट्रेट से संबंधित है।

मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन अपराध अधिनियम,1964 (यथा संशोधित 2019)

- धारा–2(एक) कोई उम्मीदवार स्वयं या अपने प्रस्थापक के माध्यम से किसी निर्वाचन में निर्वाचित होने के आशय से, नामांकन पत्र में मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करता है, जिसके बारे में वह जानता है या यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचीस हजार रूपए तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा,

मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन अपराध अधिनियम,1964 (यथा संशोधित 2019)

➢ यह अधिनियम नगरीय निकायों और पंचायतों पर समान रूप से लागू होता है।

- धारा–3 मतदान की समाप्ति के लिए नियत किये गये समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों के कालावधि में प्रचार–प्रसार निषेद्ध रहेगा।
- उल्लंघन की दशा में संज्ञेय होगा तथा कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 2 हजार रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

- धारा–4 निर्वाचन के दौरान किसी सार्वजिनक सभा में विध्न या खलल
- अपराध संज्ञेय होगा तथा कारावास की अवधि 6 मास या 2 हजार रूपये जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा।

- धारा–5 निर्वाचनों में पदाधिकारी (जो कि निर्वाचन कार्य में लगे हुए है) आदि उम्मीदवारों के लिए कार्य नहीं करेंगे और न मतदान केन्द्र पर प्रभाव डालेगें।
- उल्लघंन की दशा में कारावास जो कि छः माह तक का हो सकता है या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन अपराध अधिनियम,1964 (यथा संशोधित 2019)

- धारा–6 मतदान केन्द्रों में या उसके आसपास मतयाचना करने का प्रतिषेध
- उल्लंघन की दशा में अपराध संज्ञेय होगा तथा जुर्माने से दण्डनीय होगा जो दो सौ पचास रूपये तक हो सकता है।
- धारा–7 मतदान केन्द्रो में या उसके आसपास विश्रृंखल आचरण के लिए शास्ति।
- कारावास से जो कि 3 मास तक का हो सकता है या जुर्माने से या दोनो से दण्डनीय होगा।
- धारा–8 मतदान केन्द्र में अवचार के लिए शास्ति।
- अपराध संज्ञेय होगा तथा वह कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक हो सकती है या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।
- धारा–9 निर्वाचनों में अवैध रूप से वाहनों को भाड़े पर लेने या प्राप्त करने के लिए शास्ति।
- जुर्माने से दण्डनीय जो 250 रूपये तक हो सकता है
- धारा–10 मतदान केन्द्रो से मतपत्र निर्वाचन दस्तावेज या ई.व्ही.एम. अप्राधिकृत रूप से हटाना।
- कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 500 रूपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा। अपराध संज्ञेय होगा।

मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन अपराध अधिनियम,1964 (यथा संशोधित 2019)

- धारा–11 निर्वाचनों से संबंधित अन्य अपराध
- ए – यदि कोई शासकीय व्यक्ति हो तो ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

  बी – यदि वह कोई अन्य व्यक्ति हो तो कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक हो सकती है या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय हेागा।

- धारा–13 निर्वाचनों के संबंध में शासकीय कर्तव्य का भंग।
- जुर्माने से जो 500 रूपये तक का हो सकता है से दण्डनीय होगा।
- धारा–14क पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर निर्बन्धन।
- उल्लंघन की दशा में कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 2 हजार रूपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन अपराध अधिनियम,1964 (यथा संशोधित 2019)

- धारा–14ख निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने वाले शासकीय सेवकों के लिए शास्ति।
- धारा–14ग निर्वाचनों के संबंध में वर्गो के बीच शत्रुता संप्रवर्तित करना।
- धारा–14घ बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध।

- कारावास से जिसकी अवधि 3मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1 हजार तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।
- उल्लंघन की दशा में कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।
- जो कोई बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध करेगा वह, कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दण्डनीय होगा और जहां ऐसा अपराध सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वह कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन अपराध अधिनियम,1964 (यथा संशोधित 2019)

- धारा–14ड. मतदान केन्द्र में या उसके निकट आयुध लेकर जाने का प्रतिषेध ।
- धारा–14च मतदान के दिन लिकर का न तो विक्रय किया जाना, न दिया जाना और न वितरण किया जाना।

- अपराध संज्ञेय होगा तथा वह कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।
- कारावास से जिसकी अवधि 6मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 2 हजार रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985

- धारा–2(घ) ''विहित प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है जिला मजिस्ट्रेट या ऐसा अन्य प्राधिकारी या अधिकारी जो नायब तहसीलदार की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो, और जिसे जिला मजिस्ट्रेट ने लिखित में इस निमित्त सशक्त किया हो।
- धारा–14 अपराधों का असंज्ञेय तथा जमानतीय होना – इस अधिनियम के अधीन समस्त अपराध असंज्ञेय तथा जमानतीय होगें।
- धारा–15 शास्ति (1) जो कोई इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या उल्लंघन किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , जो 1 हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनो से, दण्डित किया जायेगा।

(2) जो कोई उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए पूर्व में दोषसिद्व ठहराया जाने पर ऐसे कोई अपराध तत्पश्चात् करेगा और उसके लिए दोषसिद्व ठहराया जायेगा, वह उसे दण्ड से जो इस अधिनियम के अधीन प्रथम दोषसिद्वि पर अधिरोपित किया जा सकता हो, दुगुने दण्ड से दण्डनीय होगा।

मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985

- **धारा–16 ध्वनि–विस्तारक का अभिग्रहण करने की शक्ति –**

(1) हेड कांस्टेबल की पदश्रेणी से अनिम्न श्रेणी को कोई भी पुलिस अधिकारी, ऐसे ध्वनि विस्तारक को, जिसका उपयोग इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए किया गया हो, अभिगृहीत कर सकेगा।

(2) ऐसा पुलिस अधिकारी या कोई न्यायालय, जिसके कि समक्ष वह ध्वनि–विस्तारक पेश किया जाता है, उसे उसके कब्जे का हकदार होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति के पक्ष में निर्मुक्त कर सकेगा जबकि ऐसा व्यक्ति यथास्थिति उस पुलिस अधिकारी या न्यायालय के समाधानपद रूप में, प्रतिभुओं सहित या रहित, एक बंधपत्र यह वचनबद्ध करते हुए निष्पादित कर देता है कि वह उसे ध्वनि–विस्तारक को, जब कभी भी इससे वैसा करने की अपेक्षा की जाए, पेश करेगा।

(3) अनुज्ञापत्र का कोई धारक या ऐसे धारक के नियोजन में तथा उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, जो ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर ऐसा अनुज्ञा–पत्र पेश करने में असफल रहेगा; वह कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम, 1994

- धारा–3 कोई भी जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थो से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपति करेगा वह जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
- धारा–4 इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989

क्र.	अपराध	संबंधित धारा/नियम		प्रकार
1		धारा 3(1) (vii)	अनुसूचित मतदान न करने के लिये किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिये मतदान करने के लिये या विधि द्वारा उपबन्धित से भिन्न रीति से मतदान करने के लिये मजबूर या अभित्रस्त करेगा।	संज्ञेय

भारतीय दण्ड संहिता

क्र.	अपराध	संबंधित धारा / नियम			प्रकार	कार्यवाही
1	रिश्वत	धारा 171 (ख)	1) जो कोई — (i) किसी व्यक्ति को इस उददेश्य से परितोषण देता है कि वह उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करे या किसी व्यक्ति को इसलिए इनाम दे कि उसने ऐसे अधिकार का प्रयोग किया है; अथवा (ii) स्वयं अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई परितोषण ऐसे किसी अधिकार को प्रयोग मे लाने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए उत्प्रेरित करने या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करने के लिए इनाम के रूप में प्रतिगृहीत करता है, वह रिश्वत का अपराध करता है : परन्तु लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन इस धारा के अधिन अपराध न होगा। (2) जो व्यक्ति परितोषण देने की प्रस्थापना करता है या देने को सहमत होता है या उपाप्त करने की प्रस्थापना या प्रयत्न करता है, यह समझा जाएगा कि वह परितोषण देता है। (3) जो व्यक्ति परितोषण अभिप्राप्त करता है		असंज्ञेय	एक वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों

भारतीय दण्ड संहिता

			या प्रतिगृहीत करने को सहतम होता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है, यह समझा जाएगा कि वह परितोषण प्रतिगृहीत करता है और जो व्यक्ति वह बात करने के लिए जिसे करने का उसका आशय नही है, हेतु स्वरूप, या जो बात उसने नहीं की है उसे करने के लिए इनाम के रूप में परितोषण प्रतिगृहीत करता है, या समझा जाएगा कि उसने परितोषण को इनाम के रूप में प्रतिगृहीत किया है।			

भारतीय दण्ड संहिता

2	निर्वाचनों में असम्यक् असर डालना—	धारा 171 (ग)	(1) जो कोई निर्वाचन अधिकार के निर्बाध प्रयोग में स्वेच्छया हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करता है, वह निर्वाचन में असम्यक् असर डालने का अपराध करता है। (2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो कोई— (क) किसी अभ्यर्थी या मतदाता को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे अभ्यर्थी या मतदाता हितबद्ध है किसी प्रकार की क्षति करने की धमकी देता है, अथवा (ख) किसी अभ्यर्थी या मतदाता को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे वह हितबद्ध है, दैवी अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिन्दा का भाजन हो जाएगा या बना दिया जाएगा, यह समझा जाएगा कि वह उपधारा (1) के अर्थ के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थी या मतदाता के निर्वाचन अधिकार के निर्बाध प्रयोग में हस्तक्षेप करता है। (3) लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन या किसी वैध अधिककार का प्रेयोग मात्र, जो किसी		असंज्ञेय	एक वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों

भारतीय दण्ड संहिता

			निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करने के आशय के बिना है, इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत हस्तक्षेप करना नहीं समझा जाएगा।			
3	निर्वाचनों में प्रतिरूपण –	धारा 171 घ	जो कोई किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, चाहे वह जीवित हो या मृत, या किसी कल्पित नाम से मत–पत्र के लिए आवेदन करता या मत देता है या ऐसे निर्वाचन में एक बार मत दे चुकने के पश्चात उसी निर्वाचन में अपने नाम के मत–पत्र के लिए आवेदन करता है, और जो कोई किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे प्रकार से मतदान को दुष्प्रेरित करता है, उपाप्त करता है या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह निर्वाचन में प्रतिरूपण का अपराध करता है।		संज्ञेय	एक वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों
4	निर्वाचनों में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दण्ड	धारा 171 (च)	जो कोई किसी निर्वाचन में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।		असंज्ञेय	एक वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों

भारतीय दण्ड संहिता

5	निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन–	धारा 171(छ)	जो कोई निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालने के आशय से किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक शील या आचरण के सम्बन्ध में तथ्य का कथन तात्पर्यित होने वाला कोई ऐसा कथन करेगा या प्रकाशित करेगा, जो मिथ्या है, और जिसका मिथ्या होना वह जनता या विश्वास करता है अथवा जिसके सत्य होने का वह विश्वास नही करता है वह जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।		असंज्ञेय	जुर्माना
6	निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय–	धारा 171(ज)	जो कोई किसी अभ्यर्थी के साधारण या विशेष लिखित प्राधिकार के बिना ऐसे अभ्यर्थी का निर्वाचन अग्रसर करने या निर्वाचन करा देने के लिए कोई सार्वजनिक सभा करने में या किसी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन पर या किसी भी अन्य ढंग से व्यय करेगा या करना प्राधिकृत करेगा. वह जुर्माने		असंज्ञेय	जुर्माना जो पांच सौ रूपए तक हो सकता है।
			से, जो पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा परन्तु यदि कोई व्यक्ति, जिसने प्राधिकार के बिना कोई ऐसे व्यय किए जों, जो कुल मिलाकर दस रूपए से अधिक न हों, उस तारीख से जिस तारिख को ऐसे व्यय किए गए हो, दस दिन के भीतर उस अभ्यर्थी का लिखित अनुमोदन अभिप्राप्त कर ले, तो यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे व्यय उस अभ्यर्थी के प्राधिकार से किए है।			

भारतीय दण्ड संहिता

7	लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना–	धारा 332	जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को, जो लोक सेवक हो, उस समय जब वह वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हो अथवा इस आशय से कि उस व्यक्ति तो या किसी अन्य लोक सेवक को, वैसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के निर्वहन से निवारित या भयोपरत करे अथवा वैसे लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या किए जाने के लिए प्रयतित किसी बात तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।		संज्ञेय	2 से 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना
8	लोक सेवक को अपने कर्तव्यों से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना–	धारा 333	जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को, जो लोक सेवक हो, उस समय जब वह वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हो अथवा इस आशय से कि उस व्यक्ति को, या किसी अन्य सेवक को, वैसे लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वाहन में की गई या किए जाने के लिए प्रयतित किसी बात के परिणामस्वरूप स्वेच्छया घोर उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के करावास से, जिसकी अविध दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा ओर जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।		संज्ञेय	2 से 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना

भारतीय दण्ड संहिता

9	लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग—	धारा 353	जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति पर, जो लोक सेवक हो, उस समय जब वैसे लोक सेवक के नाते वह उसके अपने कर्तव्य का निष्पादन कर रहा हो, या इस आशय से कि उस व्यक्ति को वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन से निवारित करे या भयोपरत करे या ऐसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या की जाने के लिए प्रयतित किसी बात के परिणामस्वरूप हमला करेगा		संज्ञेय	2 से 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना
10	लोक रिष्टिकारक वक्तव्य :	धारा 505(2)	विभिन्न वर्गों में शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा या सम्प्रवर्तित करने वाले कथन— जो कोई जन श्रुति या संत्रासकारी समाचार अंतर्विष्ट करने वाले किसी कथन या रिर्पोट को इस आशय से कि, या जिससे यह संभाव्य हो कि, विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं, धर्म, मूलवंध, जन्म, स्थान, निवास, स्थान,भाषा, जाति या समुदाय के आधारों पर या अन्य किसी भी आधार पर पैदा या संप्रवर्तित हो, रचेगा, प्रकाशित करेगा, या परिचालित करेगा, वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।		संज्ञेय	पांच वर्ष तक का कारावास

Section 188 in The Indian Penal Code

Disobedience to order duly promulgated by public servant.—Whoever, knowing that, by an order promulgated by a public serv-ant lawfully empowered to promulgate such order, he is directed to abstain from a certain act, or to take certain order with certain property in his possession or under his management, disobeys such direction, shall, if such disobedience causes or tends to cause obstruction, annoyance or injury, or risk of obstruction, annoyance or injury, to any person lawfully employed, be punished with simple impris-onment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to two hundred rupees, or with both; and if such disobedience causes or trends to cause danger to human life, health or safety, or causes or tends to cause a riot or affray, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

Section 188 in The Indian Penal Code

Explanation.—

It is not necessary that the offender should intend to produce harm, or contemplate his disobedience as likely to produce harm. It is sufficient that he knows of the order which he disobeys, and that his disobedience produces, or is likely to produce, harm. Illustration An order is promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order, directing that a religious procession shall not pass down a certain street. A knowingly disobeys the order, and thereby causes danger of riot. A has committed the offence defined in this section.

जिला सुरक्षा प्लान

(1) जिला सुरक्षा प्लान के बिन्दु :–

- **जिला सुरक्षा बलों की तैनाती की योजना :–** इस संबंध में योजना जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा बनायी जाएगी तथा इसका अनुमोदन प्रेक्षक से लिया जाएगा। उक्त प्लान में किसी भी प्रकार का विचलन होने पर प्रेक्षक से अनुमति प्राप्त की जाएगी।
- जिला स्तरीय प्लान को मतदान दिनांक से कम से कम एक सप्ताह पूर्व अंतिम रूप दिया जाएगा।
- प्रेक्षक के प्रथम आगमन पर जिला स्तरीय ड्राफ्ट प्लान उपलब्ध कराया जाएगा।
- प्रेक्षक को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना।
- स्ट्रांग रूम के संबंध में सुरक्षा बलों की तैनाती।
- उक्त प्लान में अनिवार्यतः वल्नरेबल तथा क्रिटिकल क्षेत्रों का उल्लेख होना चाहिए।

जिला सुरक्षा प्लान

- वल्नरेबल क्षेत्रों में विश्वास बढ़ाने वाले उपाय।
- वल्नरेबिलिटी मेपिंग एवं क्रिटिकल के क्रम में मतदान केन्द्रों में बलों की तैनाती।
- उक्त प्लान में नाम–निर्देशन पत्र प्राप्ति केन्द्रों, मतदान दलों के प्रेषण एवं वापसी के केन्द्रों, मतगणना स्थल की सुरक्षा व्यवस्था का भी उल्लेख किया जाना है।
- मतगणना केन्द्रों पर तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था।
- पुलिस मोबाइल एवं सेक्टर अधिकारियों को आबंटित क्षेत्र एवं/अथवा सम्मिलित रूट जहॉ तक हो सके एक समान होना चाहिए।
- अभ्यर्थीयों को रूटीन में सुरक्षा व्यवस्था नहीं उपलब्ध करायी जाएगी बल्कि प्रत्येक प्रकरण में विधिवत गुणदोष के आधार पर निर्णय लिया जावे।

अस्त्र–शस्त्रों पर प्रतिबंध तथा विस्फोटक पदार्थों की सघन चेकिंग

- आग्नेय शस्त्रों एवं अन्य घातक हथियारों को लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ऐसा प्रतिबंध चुनाव परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रखा जाएगा।
- यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने शस्त्र का दुरूपयोग कर लोक सुरक्षा या लोक शांति भंग किए जाने की आशंका हो तो ऐसे व्यक्ति की शस्त्र अनुज्ञप्ति आर्म्स एक्ट 1959 के अंतर्गत निलंबित करते हुए उसका शस्त्र निकटतम थाने में जमा कराया जा सकेगा। शांति एवं व्यवस्था की दष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में निवास करने वाले शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा यदि शस्त्रों का दुरूपयोग करने की आशंका हो तो ऐसे क्षेत्र के समस्त या चुनिन्दा अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्तियॉ भी आर्म्स एक्ट 1959 के अंतर्गत निलंबित करते हुए उनके शस्त्र, निर्वाचन हो जान तक, निकटस्थ थाने में जमा कराए जा सकेंगे।

अस्त्र–शस्त्रों पर प्रतिबंध तथा विस्फोटक पदार्थो की सघन चेकिंग

ऐसे व्यक्तियों तथा उनके ठिकानों का पता लगाने के लिए जो अवैध रूप से शस्त्र या बारूद रखते हैं, विस्फोटक पदार्थो का भण्डारण एवं प्रदाय करते हैं या अवैध शस्त्रों का निर्माण एवं व्यवसाय करते हैं, पुलिस द्वारा एक सघन अभियान चलाया जाएगा तथा इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में संलग्न तत्वों के विरूद्ध संगत अधिनियम के अंतर्गत सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

असामाजिक तत्वों की धरपकड़

- निर्वाचन की सूचना जारी होते ही पुलिस द्वारा असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों तथा कानून एवं व्यवस्था भंग करने की मंशा से अवैधानिक कृत्यों में प्रवृत व्यक्तियों की धरपकड़ तथा प्रतिबन्धात्मक गिरफ्तारी करने का एक सघन अभियान चलाया जाएगा।
- मतदान की तारीख के 2 दिन पूर्व से लेकर आगामी चरण के मतदान के दिन तक प्रत्येक जिले में चलने वाले वाहनों की, यह सुनिश्चित करने के लिये सघन चेकिंग की जाएगी कि उनमें कोई शस्त्र या विस्फोटक सामग्री तो नहीं ले जाई जा रही है।

निर्वाचन की घोषणा के साथ ही विशेष अभियान....1

- गत निर्वाचनों में निर्वाचन अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों को सूचीबद्ध करना।
- हिस्ट्रीशीटर, घोषित भगौड़ों, अपराधियों की सूचि को अद्यतन करना।
- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/ 116/ 109 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही।
- राज्य के अन्दर तथा राज्यों के बीच चलने वाले ट्रकों एवं वाणिज्यिक गतिविधियों में लगे हुए वाहनों की सघन जांच।
- नये शस्त्रों का लाईसेंस जारी न किया जाए।
- प्रत्येक सप्ताह की गई कार्यवाही का संकलित प्रतिवेदन जिला निर्वाचन अधिकारी एवं आर.ओ. को भेजा जाए तथा आर.ओ. एवं डी.ई.ओ. द्वारा इस जानकारी को संकलित कर आयोग को भेजी जाएगी।
- अस्त्र–शस्त्र लेकर चलने के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी करना।

निर्वाचन की घोषणा के साथ ही विशेष अभियान....2

- शत–प्रतिशत आर्म्स लाईसेंस धारियों एवं उनकी दुकानों की जांच।
- अवैध हथियारों के संबंध में विशेष अभियान, जब्ती की कार्यवाही एवं दोषियों के विरूध कार्यवाही।
- लंबित निर्वाचन अपराधों के न्यायालय में प्रचलित प्रकरणों के संबंध में त्वरित कार्यवाही।
- लंबित वारंट/चालान की तामिली के संबंध में विशेष अभियान तथा लंबित वारंट/चालन की सूचि को अद्यतन करना।
- हथियार बनाने वाली अवैध फेक्ट्रीयों के संबंध में सघन अभियान।
- अस्त्र–शस्त्रों को थानों में जमा कराने संबंधी आदेश ।
- कार्यपालिक मजिस्ट्रों एवं पुलिस अधिकारियों को संयुक्त रूप से भ्रमण करना चाहिए तथा जन सामान्य से भेंट कर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के संबंध में वातावरण निर्माण करना।

निर्वाचन की घोषणा के साथ ही विशेष अभियान....3

- वल्नरेबल स्थानों/ क्षेत्रों में पुलिस गश्त एवं उसकी सूचना नियमित रूप से कन्ट्रोल रूम को देना।
- आवश्यक रूप से पुलिस पिकेट की स्थापना ।
- वल्नरेबल क्षेत्रों की सूची को अन्य जिलों/पी.एच.क्यू. से आये बल के प्रमुख को उपलब्ध कराना।
- ऐसे स्थानों का चयन जहॉ फ्लेग मार्च का आयोजन किया जाना है।
- प्राप्त शिकायतों की त्वरित रूप से जांच एवं कार्यवाही।
- ऐसे व्यक्तियों को सूचीबद्ध करना जिन्हें विरूद्ध अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में प्रकरण पंजीबद्ध है।
- जिले से प्रति दिवस कानून एवं व्यवस्था के प्रतिवेदन का ऑनलाइन प्रेषण।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विभिन्न व्यवस्थाओं एवं प्रतिबन्धात्मक आदेशों का जारी किया जाना 1

- नाम निर्देशन प्राप्ति स्थलों से 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू किया जाना ।
- अस्त्र–शस्त्रों के प्रदर्शन की प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही एवं जमा कराया जाना ।
- रैली, जुलूस, सभाओं का विनियमन आदेश ।
- कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण।
- मतदान दिवस के लिए मतदाता के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को स्थान रिक्त करने का आदेश ।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विभिन्न व्यवस्थाओं एवं प्रतिबन्धात्मक आदेशों का जारी किया जाना 2

- स्टैडिंग कमेटी का गठन एवं उसकी बैठकों का नियमित रूप से आयोजन किया जाए। इन बैठकों में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को मतदान, व्यवस्था, मतगणना व्यवस्था, आदर्श आचरण संहिता, कानून व्यवस्था, निर्वाचन अपराधों की जानकारी इत्यादि दी जावें। प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का विवरण रखा जाए।

प्रेक्षक :–

- आयोग के निर्देशानुसार प्रेक्षक के प्रोटोकाल एवं सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा जाये।
- प्रेक्षकों के मोबाईल नम्बर, रहने एवं भ्रमण कार्यक्रमों का विस्तृत प्रचार–प्रसार किया जाये।

नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति स्थल की सुरक्षा व्यवस्था....1

- संपूर्ण जिले में एक से अधिक नाम निर्देशन प्राप्ति स्थल हो सकते हैं । सभी स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक की होगी ।
- जिला मुख्यालय पर स्थित नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति स्थल जिला रिटर्निंग अधिकारी कलेक्टर होता है, की सुरक्षा व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से अनिम्न स्तर का होना चाहिए तथा जिला मुख्यालय से भिन्न स्थलों पर प्रभारी अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक से अनिम्न स्तर का होना चाहिए ।
- नाम निर्देशन पत्र जमा करने आने वाले अभ्यर्थियों की रैली वाहन कारकेट आदि की निगरानी यदि निर्वाचन व्यय की सीमा को देखते हुए आवश्यक हो तो वीडियोग्राफी भी की जावे ।
- परिसर में अभ्यर्थी के साथ अधिकतम तीन व्यक्तियों के प्रवेश की सीमा का पालन दृढ़ता से किया जाना ।
- संवीक्षा के दिन रिटर्निंग अधिकारी से परामर्श कर संवीक्षा के तय कार्यक्रम अनुसार अभ्यर्थी सहित चार व्यक्तियों को परिसर एवं संवीक्षा कक्ष में प्रवेश को सुनिश्चित करना।

कार्यवाई जो अपेक्षित है

- जिलों में वल्नरेबेलिटी मेपिंग एवं क्रिटिकल मतदान केन्द्रों की पहचान करना तथा मतदाताओं में विश्वास जागृत करने वाले उपायों को प्रारंभ करना। (CBM)
- सीमावर्ती राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ **समन्वय बैठक**। सीमावर्ती राज्यों के जिलों के चिन्हित 544 गांवों में **लाइसेंस आर्म्स** थाने में जमा कराने हेतु समन्वय।
- अपराधियों के विरूद्व लंबित **वॉरन्ट की तामिली** एवं चुनाव संबंधी अपराधों में लिप्त अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही हेतु अभियान।
- प्रदेश की सीमा से लगे अन्य राज्यों के जिलों में मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व **ड्राए डे** घोषित करने के संबंध मे सचिव गृह द्वारा अन्य राज्यों से समन्वय।
- नक्सली क्षेत्रों के लिए विशेष कार्य योजना तैयारी करना।

कार्यवाई जो अपेक्षित है

- अंतराज्जीय सीमाओं से अवैध हथियार, अवैध शराब, अवैध राशि एवं विस्फोटक सामग्री के आवागमन किसी भी स्थिति में न हो इसलिए सघन **नाकाबंदी**, पांइटस बनाए जाए।
- कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों के सहयोग से दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत अधिक से अधिक **प्रतिबन्धात्मक कार्यवाहियां** की जावे।
- आर्म्स **लाइसेंस धारियों** की सूची को अद्यतन किया जावे।
- अवैध हथियारों की **धरपकड़** के संबंध में विशेष अभियान चलाया जाए।
- इन निर्वाचनों में **ड्राय डे** पुलिस थाने की सीमाओं में घोषित किया जाए जिससे कि इसका क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से किया जा सके।
- ऐसे मतदान केन्द्र जो **डार्क जोन** के अंतर्गत आते है उनमें सूचनाओं के संप्रेषण में आवश्यक कार्यवाही करना।

नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति स्थल की सुरक्षा व्यवस्था....2

- नाम वापसी की अवधि में नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों पर अन्य तत्वों द्वारा आवश्यक दबाव से प्रतिरक्षण करना ।
- नाम वापसी की अवधि समाप्ति के समय अर्थात् 3.00 बजे अपरान्ह में स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को चौकन्ना रखना ।
- इस प्रकार निर्वाचन की सूचना जारी होने के साथ ही नाम निर्देशन प्राप्ति का कार्य प्रारंभ होगा जिसकी सुरक्षा व्यवस्था त्रि–स्तरीय होगी । एक शहर से परिसर के बाहर तक, दूसरी परिसर के मेन गेट पर, तीसरी भवन के अथवा नाम–निर्देशन कक्ष के प्रवेश द्वार पर ।
- यदि वीडियोग्राफी की जाती है तो प्रत्येक दिन की वीडियोग्राफी का अवलोकन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सुरक्षा व्यवस्था प्रभारी अधिकारी एवं वीडियो निगरानी टीम द्वारा किया जावेगा।

Website:
www.mplocalelection.gov.in
email id: mpsec@mp.gov.in

Failing to Plan is Planning to Fail

Often, we are too slow to recognise how much and in what ways we can assist each other through sharing such expertise and knowledge

- Owen Arthur (PM of Barbados from 1994 to 2008)

SILENCE OF THE MASSES
NOTHING IS MORE THREATENING
TO OUR FUTURE THAN SILENCE.
GET INVOLVED. SPEAK UP.
STAND UP. RESIST CONTROL.

Thanks